


तारीख  
हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज

11/1/23

पतावली राज राष्ट्रीय लोक न्यायालय के  
 न्यायालय नतिरिक्त हुक्म न्यायिक फिलि-2  
 गुडामाली सेवा हुक्म फिलि-2 व वकील  
 प्रकीर्ण का हुक्म गंगा कोड का हुक्म  
 के विराम जाका हुक्म न्यायालय हुक्म  
 गंगा पतावली विराम हुक्म होकर शास विराम  
 श्री न्यायालय लगी जाय हो पालन हुक्म  
 होके पर इतिहास पतावली श्री कोड का हुक्म  
 पतावली विराम हुक्म होकर शास विराम हुक्म

  
 अध्यक्ष  
 लोक अदालत  
 नतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
 गुडामाली (बाइसे)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी (बाड़मेर)  
राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प- न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुड़ामालानी

प्रकरण संख्या: 208/2022

प्रार्थीगण :-

1. नीबाराम पुत्र प्रहलादराम  
जाति जाट निवासी बाण्ड तहसील नौखडा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. मागाराम पुत्र पताराम वगैरा (93)  
जाति मेगवाल/जाट निवासी बाण्ड तहसील नौखडा जिला बाड़मेर
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नौखडा जिला बाड़मेर


राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

--: आदेश :-

दिनांक :- 11/02/23


प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरुद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प-गुड़ामालानी पेश हुई हमने प्रार्थी के अधिवक्ता श्री रामजीवन विशनोई की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2072-2075 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा बाण्ड के खेत खसरा नम्बर 607 रकबा 17.4095 हैक्टेयर का अवलोकन किया, जिसमें प्रार्थी का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पड़ोसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
गुड़ामालानी

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नौखडा को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि सरहद मौजा बाण्ड के खेत खसरा नम्बर 607 रकबा 17.4095 हैक्टेयर के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार नौखडा को 1000/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार नौखडा को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार नौखडा बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 11/2/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
गुड़ामालानी